झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 1866 वर्ष 2019

सरोज कुमार महतो, उम्र लगभग 42 वर्ष, पे0 धनेश्वर महतो, निवासी ग्राम–मुरालीडीह, पांडुबथान, डाकघर– पांडुबथान, थाना–गोड्डा (एम0), जिला–गोड्डा।

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–राँची

3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–राँची

4. सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, द्वारा कुलपति, कार्यालय–दुमका, डाकघर एवं थाना–दुमका, जिला–दुमका

5. निबंधक, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कार्यालय–दुमका, डाकघर एवं थाना–दुमका, जिला–दुमका

6. प्राचार्य, गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा, डाकघर एवं थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: सुश्री रजनी सिंह, अधिवक्ता

एस0के0एम0 विश्वविद्यालय के लिए: डॉ0 अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिएः सुश्री प्रियंका बॉबी, अधिवक्ता

6 / 12.01.2021 सुश्री रजनी सिंह–याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, डॉ0 अशोक कुमार सिंह–उत्तरदाता सिदो कान्हू विश्विद्यालय की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं सुश्री प्रियंका बॉबी उत्तरदाता राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया एवं किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3. याचिकाकर्ता ने 6ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से याचिकाकर्ता के वेतन को निर्धारित करने के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है और उसके बाद 10 प्रतिशत ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को बकाया वेतन के अंतर का भुगतान करने हेतु भी रिट याचिका में प्रार्थना की गई है।

4. याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन पर रिक्त स्वीकृत पद के विरूद्ध निबंधक, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21.07.2003 के नियुक्ति पत्र के द्वारा गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा में रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता उस महाविद्यालय में लगातार काम कर रहा था। याचिकाकर्ता की सेवा को गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा में रात्रि प्रहरी के पद पर रू0 775–1025/– के वेतनमान में, निबंधक–सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की अधिसूचना दिनांक 22.12.2008 जो अनुबंध–1

श्रृंखला में निहित है, के द्वारा नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता का वेतन उप सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार के निर्देश के आलोक में, निबंधक–सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा 14.06.2010 की अधिसूचना के अनुसार 5वें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार तय किया गया था। याचिकाकर्ता का नाम क्रम सं0 19 पर है। प्राचार्य, गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा ने निबंधक, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के समक्ष दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठे वेतन संशोधन के अनुसार गोड्डा महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता 6ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार 01.01.2006 के प्रभाव से अपने वेतन के निर्धारण के लिए हकदार है जैसा कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही अनुबंध–3 श्रृंखला में निहित कई अभ्यावेदन दायर कर चुका है। वह कहती है कि उक्त अभ्यावेदन अभी भी लंबित हैं।

6. डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर कर सकता है जो मामले की जांच करेगा और आवश्यक करेगा।

7. प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद राज्य की भूमिका आएगी।

8. उपरोक्त तथ्य और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर याचिकाकर्ता को उन सभी साख के साथ जिस पर उसे भरोसा है, आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

9. यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 5 इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल को प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

10. यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो प्रतिवादी विश्वविद्यालय नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा और याचिकाकर्ता को ऐसी राहत प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

11. पूर्वोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, तत्काल रिट याचिका को अनुज्ञात और निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)